


श्री. 5.24

पत्रावली पैका। प्रार्थना पत्रां एवं शैलान्त
दस्तावेजों का डाकलेखन करने एवं मग्न
करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र र-वीकित
योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता
है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तरीकें तकनीक द्वारा साक्षिक प्रकृतियों
निर्णय लिखाया जाकर खुले
आपत्तय में सुझाया गया।


(मन्मोहन कुमार मणि)
R.A.S.